राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021-22 : मुख्य बिन्दु

(1) **आबकारी राजस्व :**

- वर्ष 2021-22 में राशि 13,000 करोड़ रूपए अनुमानित।

(2) **आबकारी बंदोबस्त : अधिक पारदर्शिता के साथ**

- **दुकानवार ऑनलाईन निलामी** से अधिकतम बोली के आधार पर।
- वर्ष 2021-22 में मदिरा की **सभी दुकानें कम्पोजिट श्रेणी** की होगी।
- मदिरा दुकानों की संख्या वर्ष 2020-21 के अनुसार **7665 यथावत**।
- एक व्यक्ति को एक **जिले में अधिकतम दो एवं संपूर्ण राज्य में अधिकतम 5 मदिरा दुकानों** से अधिक का आवंटन नहीं।
- RSGSM एवं RSBCL मदिरा दुकानों की ऑनलाईन नीलामी में भाग ले सकेंगे एवं दुकानों का संचालन कर सकेंगे।

(3) **आबकारी ड्यूटी, फीस एवं सरचार्जः उद्योग को राहत/बढावा**

- बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में 10 प्रतिशत कमी।
- भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं विदेशी आयातित मदिरा (BIO) के अलावा अन्य आबकारी उत्पादों पर कोविड सरचार्ज समाप्त।
- देशी मदिरा की अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई वृद्धि नहीं एवं बीयर के MRP में 30 से 35 रू. की कमी।
- भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर स्पेशल वेण्ड फीस की समाप्ति।
- शहरी क्षेत्रों की भा.नि.वि.म. एवं बीयर दुकानों पर वार्षिक लाईसेंस फीस की सामप्ति।
- भा.नि.वि.म. व बीयर के एनुलाइज्ड बिल राशि का 7 प्रतिशत कम्पोजिट फीस।
- अग्रिम जमा राशि प्रावधान 14.5 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया।
- भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी ड्यूटी एवं अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी तथा बीयर पर आबकारी ड्यूटी यथावत।
- देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर आबकारी ड्यूटी क्रमशः 175 एवं 185 रूपए प्रति एलपीएल तथा बेसिक लाईसेंस फीस क्रमशः 44 एवं 105 रूपए प्रति बल्क लीटर।

(4) **देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा :-**

- देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का हिस्सा 50-50 प्रतिशत।
- 50/60 यूपी कम तेजी की देशी मदिरा का न्यूनतम हिस्सा 40 प्रतिशत यथावत।

(5) <u>पर्यटन व रोजगार प्रोत्साहन</u> :

- होटल एवं रेस्टोरेण्ट बार लाईसेंस फीस यथावत रखकर वर्ष 2021-22 हेतु लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत की छूट।
- नवीन बार लाईसेंस की स्थिति में आवेदक को सम्पूर्ण फीस के स्थान पर 10 प्रतिशत ही अग्रिम जमा कराने का प्रावधान।
- स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं प्राधिकारी द्वारा होटल एवं रेस्टोरेण्ट संचालन का लाईसेंस होने पर बार लाईसेंस के लिए पात्रता।
- अतिरिक्त बार काउण्टर हेतु आवश्यक फीस जमा कराने पर ऑनलाईन स्वतः स्वीकृति का प्रावधान।
- पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देने हेतु बार अनुज्ञाधारियों को माइक्रो ब्रुवरी स्थापना व संचालन की अनुमति।

(6) <u>तकनीकी उपयोग</u> : **<u>अवैध मदिरा प्रवाह को रोकना</u>**

- मदिरा उत्पादन इकाईयों को **SCADA** व **Internet Of Things (IOT)** तथा **Track & Trace** प्रणाली के अपनाने का प्रावधान।
- मदिरा उत्पादन से विक्रय तक के सभी चैनल्स में **Track & Trace** प्रणाली लागू करने का प्रावधान।
- रिटेल दुकानों पर POS मशीन एवं बिलिंग को अनिवार्य रूप से लागू।
- RSGSM एवं RSBCL के गोदामों को आवश्यकतानुसार एकीकृत कर आधुनिकीकरण किया जाएगा।

(7) <u>प्रक्रियाओं का सरलीकरण</u> : <u>ईज ऑफ डूइंग बिजनेस</u>

- ऑवरटाईम व अतिरिक्त शिफ्ट की ऑनलाईन स्वीकृति।
- ब्राण्ड लेबल का अनुमोदन व पंजीयन ऑनलाईन स्वतः नवीनीकृत (Auto Renewal) की व्यवस्था व जाँच स्तरों को सीमित किया गया।
- यूनिट में परिवर्तन व परिवर्धन अनुमति प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन।
- परिवहन परमिट प्रक्रिया ऑनलाईन।
- प्रासव की इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट प्रक्रिया ऑनलाईन।
- रिफण्ड प्रक्रिया का सरलीकरण।
- बैच नंबर या वाहन संख्या में अन्तर आने पर ऑनलाईन परमिट संशोधन।

(8) **मद्यसंयम के नीतिगत निर्देश :**

- मदिरा दुकान खुलने व बंद होने का समय क्रमशः प्रातः 10 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक रहेगा।
- मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों के विरूद्ध कार्यवाही।
- मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन।
- अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक।
- दुकानों पर मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनी।
- नशें के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार।
- सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना।
- पाँच शुष्क दिवसः गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती।
- अवैध शराब के सेवन के परिणामस्वरूप होने वाली दुखान्तिकाओं के लिए उत्तरदायित्व एवं प्रबोधन की प्रभावी कार्यवाही का प्रावधान।

[राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021–22 वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।]

Rajasthan Excise Policy 2021-22 : Salient Features

(1) **Excise Revenue:**

- Revenue of Rs. 13000 crores is expected for the year 2021-22.

(2) **Excise Settlement: for Greater Transparency**

- **Online Auction for the each shop.**
- All liquor shops will be of composite category.
- Numbers of shops will remain the same at 7665 as per the last year policy.
- **Not more than 2 shops in district** and **not more than 5 shops in the State per person.**
- RSGSM and RSBCL can participate in Online Auction and can also operate liquor shops.

(3) **Excise Duty, Fees and Surcharge: for relief to industry**

- 10% reduction of Additional Excise Duty on Beer.
- No more Covid-surcharge on Excise Items except IMFL and BIO (Bottled in Origin).
- No increase of MRP for County Liquor (CL).
- MRP on Beer reduced.
- No Special Vend Fees on IMFL and Beer.
- No Annual License Fees on IMFL and Beer shops in Urban Areas.
- Composite Fees will be 7% of annualized billing for IMFL and Beer.
- Advance Deposit amount reduced from 14.5% to 8% to increase liquidity.
- Excise Duty will be Rs. 175 and 185 per LPL on County Liquor and Rajasthan Made Liquor respectively.

(4) **Country Liquor (CL) and Rajasthan Made Liquor (RML) Ratio** :

- CL/RML ratio from 70:30 to 50:50.
- Lower strength CL of 50/60 UP's share will be 40% minimum.

(5) **Promotion of Tourism and Employment:**

- Basic License Fees of Hotels, Restaurants and Club Bar would remain as per the year 2020-21. 10% deduction of license fees is allowed for the year 2021-22.
- Advance License Fees will be 10% for new applicants of Bar.
- Hotels and Restaurant having license of local bodies/authorities will be entitled to apply for Bar license.
- Sanction of additional counters in the Bars will be done on auto-approval mode.
- Bar Licensees will be allowed to establish and operate the Micro Brewery.

(6) **Technology to curb flow of illicit liquor**

- Liquor production units will follow **SCADA** and **Internet of Things (IOT)** with **Track and Trace system.**
- POS machine and billing will be compulsory for retail shops.
- Modernization and integration of godown of RSGSM and RSBCL.

(7) **Simplification of Procedures for ease of doing business**

- Online approval for overtime and extra shifts.
- Online approval of alteration in the units.
- Product and Label approval would be online with Auto Renewal Mode.
- Online approval of transport permit.
- Online approval of Import and Export of Rectified Spirit (RS).
- Online refund process with simplification.
- Online correction and approval for mis-matching of Batch and vehicle numbers.

(8) **Temperance Policy:**

- Timings for retail license shop shall be from 10 AM to 8 PM.
- Strict action against advertisement of liquor.
- Clear warning on the liquor packing of health hazards.
- 5 Dry Days: Republic Day, Mahaveer Jayanti, Martyr's Day 30th January, Independence Day and Gandhi Jayanti.

[Complete excise policy 2021-22 document is available on FD website-www.finance.rajasthan.gov.in]